

fglunh l kfgR; ea jk"Vh; Hkkouk vkj fglunh dk0; , oa Hkk"kk dk egUo

डॉ. कृष्णकान्त मिश्र*

i Lrkouk

राष्ट्र का अभिप्राय निश्चित भूभाग से होता है जहाँ किसी खास समुदाय के लोग निवास करते हैं – जिसकी सभ्यता और संस्कृति में एकनिष्ठता होती है। राष्ट्रीयता एक प्रकार की मानसिक अवस्था का द्योतक है जिससे राष्ट्र के प्रति परमनिष्ठा का बोध होता है। यह एक विशिष्ट मनोदशा है। ऐसी स्थिति में आदमी आपसी बैर-विरोध को भूलकर और मतभेदों से ऊपर उठकर सम्पूर्ण राष्ट्र की समृद्धि और सुरक्षा के लिए कृत संकल्प रहता है।

हिन्दी काव्य में राष्ट्रीयता की भावना का अद्भुत समावेश है। जयशंकर प्रसाद की (कामायनी) में दुर्बल राष्ट्र को सबल बनाने की प्रेरणा है। यहाँ कवि मनु के माध्यम से सम्पूर्ण देश को शक्तिशाली और विजयी बनने की प्रेरणा देता है।

और यह क्या तुम सुनते नहीं।

विधाता का मंगल वरदान।

शक्तिशाली हो विजयी बनो।

विश्य में गूँज रहा जयगान।।

जयशंकर प्रसाद में पुनरुत्थान की भावना सबसे अधिक थी। वे भारत की अतीत की समृद्ध संस्कृति पर मुग्ध रहते थे। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति आत्म गौरव का भाव जगया। प्रसाद जी की रचना-धर्मिता समकालीन यथार्थ के प्रति पूरी तरह जागरूक थी।

चन्द्रगुप्त नाटक में हिमालय के उत्सुंग शिखर से प्रवाहित होने वाली वेगवान धारा की तरह उनकी कविता स्वतंत्रता का आह्वान करती है और भारत के अमर्त्य वीर पुत्रों को स्वतंत्रता के प्रशस्त पुण्य पंथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है।

हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती

स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती।

अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो

प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो।।

प्रसाद जी अतीत की मधुर स्मृतियों में रम जाते हैं फिर उन्हें याद आता है यह दृश्य :

अरुण यह मधुमय देश हमारा

जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा

* प्राचार्य एवम् विभागाध्यक्ष (हिन्दी), डॉ. बी.आर. अम्बेडकर पी.जी. कॉलेज, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

भारतेन्दु के सामने भारत का उज्ज्वल अतीत और विशादग्रस्त वर्तमान था। उन्होंने अपने कविता के माध्यम से भारतवासियों को उनके महान पूर्वजों की याद दिलाकर उत्साहित किया और समकालीन भारत की दुर्दशा का चित्रण कर उसमें जागृति लाने की कोशिश की।

इसके साथ ही उनकी यह भी धारणा थी कि अपने देश की उन्नति अपनी भाषा के माध्यम से ही संभव है

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।

बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै न हिये को शूल।

समकालीन भारत की दुरावस्था पर क्षोभ प्रकट करने के क्रम में उनकी आक्रामकता में उनकी आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है और वे भारत के भाइयों को साथ मिलकर रोने के लिए पुकारते हैं :

रोवहू सब मिलि के आवहू भारत भाई

हा!हा! भारत दुर्दशा न देखी जाई

आधुनिक काल में मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल रूप में विद्यमान है। (भारत भारती) रचना में इन्होंने एक स्थल पर भारतवासियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है।

देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था।

नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के बाद माखनलाल चतुर्वेदी सोहन लाल द्विवेदी सुभद्राकुमारी चौहान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जयशंकर प्रसाद पंत दिनकर आदि की काव्य कृतियों में राष्ट्रीयता की प्रबल धारा पूर्व वेश से प्रवाहित होने लगी। माखन लाल चतुर्वेदी की निम्नलिखित पंक्तियों में इसी भावना की अभिव्यक्ति हुई है।

मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक।

मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाते वीर अनेक।

सुभद्रा चौहान की रचनाओं में देशभक्ति की प्रबल धारा स्पष्ट रूप से विद्यमान है।

हल्दी घाटी के शिलाखण्ड

ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड

राणा ताना का कर घमण्ड

दो जगा आज स्मृतियाँ ज्वलंत।

महाकवि निराला की रचनाओं में (जागो फिर एक बार) कविता में कवि ने आत्म-गौरव और उद्धोधन का भाव जगाया है।

शेर की माँद में

आया है स्यार

जागो फिर एक बार

ब्रह्मा तुम हो

पद रज भर भी नहीं

पूरा यह विश्व भार

जागो फिर एक बार

छायावादी कवियों में (सुमित्रा नंदन पंत) मूलतः प्रकृति के कवि है लेकिन उनकी कविताओं में भी भारत के प्रति असीम श्रद्धा है।

भारत माता ग्राम वासिनी
खेतों में फैला है श्यामल
धूल भरा मैला सा आँचल
गंगा—यमुना में आँसू जल
मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी।

रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएँ राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य में दिनकर जी की ओजस्वी वाणी हुँकार भरती है:

छीनता है सत्व कोई और तुम
त्यागतप से काम लो यह पाप है
पुण्य है विच्छिन्न कर देना उन्हें
बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है।

दिनकर के अस्त होने पर राष्ट्रीय चेतना का स्वर मंद पड़ गया। राष्ट्रीयता हाशिए पर चली गई और दुर्लभ प्राणियों की तरह यदा-कदा ही दृष्टिगत होने लगी।

दिनकर के बाद के कवियों में भारत भूशण अग्रवाल की कुछ पंक्तियाँ दृष्टव्य है जिनमें देश प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है।

कोटि कंठ का नाम लिए
उठे जब साम स्वरो में गान
बने यह भारत देश महान।
मुक्तिबोध की रचनाओं में समकालीन राजनीति के प्रति व्यंग्यात्मक स्वर है।
अब तक क्या किया
जीवन क्या जिया—ज्यादा लिया
और दिया बहुत कम
मर गया देश
अरे जीवित रहे गये तुम

आजादी के बाद भारत में विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास किया है। सम्पूर्ण विश्व में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज का कवि राष्ट्र को सशक्त समृद्ध और विकसित बनाने के लिए अतीत की समृद्ध विरासत को प्रेरक मानता है। सचमुच स्वर्णिम भविष्य की अट्टालिका का निर्माण अतीत की मजबूत आधारशिला पर ही संभव है।

हिन्दी भाषा का महत्त्व

हिन्दी भाषा के बारे में विचार करें तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हिन्दी का वास्तविक स्वरूप क्या था क्या है और क्या रहेगा आजादी से पूर्व हिन्दी साहित्य भक्ति राष्ट्रीय जागरण की भाषा रही। भक्तिकालीन और रीतिकालीन हिन्दी ने तो निर्गुण—सगुण धारा का रूप लेकर भारत के पूर्व से पश्चिम उत्तर से

दक्षिण न केवल सांस्कृतिक धार्मिक व आर्थिक आधार पर जोड़ने का प्रयास किया अपितु भाषाई सामंजस्य और एकता व अखण्डता को भी जन्म दिया वहीं राष्ट्रीय सामाजिक चेतना में भी हिन्दी ने प्राण फूँके।

इसका जन्म संस्कृत तथा संस्कृत की कई अपभ्रंश ब्रज अवधी आदि भाषाओं एवं भारतीय भाषाओं के प्रचलित राष्ट्रव्यापी शब्द से हुआ है जिसे जन-जन तक पहुँचाने में सभी विचारधाराओं के कवियों संतो वे चाहे कबीर नानक हो दयानन्द सरस्वती हो या फिर महर्षि अरविन्द हो ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। उनका विश्वास था कि हिन्दी को माध्यम बनाकर आम आदमी तक अपनी बात पहुँचाई जा सकती है। सरल सुबोध लोक प्रचलित बोलियों उपभाषाओं को अपने कलेवर में समेटते हुये हिन्दी लगभग आठवीं सदी से निरन्तर प्रगति की ओर बढ़ी और जनसंख्या के आधार पर आज हिन्दी का स्थान संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में गिना जाता है। हिन्दी के ग्रन्थ रामचरित मानस, हनुमान चालीसा, कबीर दोहे, रसखान की कवितायें, नानक की गुरुवाणी यत्र-तत्र सभी जगह गायी जाती है। महात्मा गांधी सरदार पटेल सुभाष चन्द्र बोस, लाला लाजपत राय आदि अनेक नेताओ ने हिन्दी को स्वतंत्रता संघर्ष का माध्यम माना। वंदे मातरम, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, के नारों ने सत्य और अहिंसा को सम्बल दिया जिसे महात्मा गांधी ने अपना अस्त्र बनाया।

भारत में अनेक भाषायें बोली जाती हैं जिनमें से 23 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। परन्तु भारत की संविधान सभा द्वारा राजकाज चलाने तथा केन्द्र एवं राज्यों के बीच सम्पर्क भाषा के लिये हिन्दी को ही चुना गया है क्योंकि यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। इसके साथ भारत की सांस्कृति, धार्मिक और राजनीतिक परम्परायें जुड़ी हुई हैं। 14 सितम्बर 1946 को संविधान सभा की नियम समिति ने डॉ० राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह निर्णय किया कि संविधान सभा का काम-काज हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी में किया जाना चाहिये और अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी सदस्य सदन में अपनी मातृभाषा में भाषण दे सकेगा। संघ की संविधान समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि संघ की संसद की भाषा हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी होगी और सदस्यों की अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने की छूट हेगी। प्रान्तीय संविधान समिति ने यह सिफारिश की प्रान्तीय विधान मण्डलों में काम-काज प्रान्त की भाषा में किया जायेगा अथवा हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी में। 14 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा का सत्र प्रारम्भ हुआ तब सत्र के दूसरे ही दिन यह संशोधन प्रस्तुत किया गया कि हिन्दुस्तानी के स्थान पर हिन्दी शब्द रखा जाये। जिसे बहुमत के आधार पर सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा ने 14 सितम्बर सन् 1949 को देवनागरी में लिखी जाने वाली हिन्दी को संघ सरकार की राजभाषा स्वीकार किया और संविधान में इसे आदरणीय स्थान दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 343(2) में यह प्रावधान भी रखा गया है कि 15 साल तक अंग्रेजी भी हिन्दी के साथ-साथ राज-काज की भाषा रहेगी। हिन्दी के साथ ही भारत की अन्य भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और उन्हें आठवीं अनुसूची में रखा गया। सन् 1956 में राजभाषा आयोग बना जिसने 1959 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी तथा राष्ट्रपति ने 1960 के आदेश द्वारा भारतीय भाषाओं के उन्नयन के लिये तथा राजभाषा हिन्दी को सही स्थान दिलवाने के लिये ठोस प्रयास किये जाने के लिये आदेश जारी किया। फिर 1963 में राजभाषा अधिनियम बना। 1968 में लोकसभा और राज्यसभा ने एक संकल्प पारित किया तथा 1976 में राजभाषा नियम बने। इसी राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार पर सही नजर रखने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष स्वयं गृहमंत्री होते हैं तथा जिसकी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपी जाती हैं।

गृह मंत्रालय के अधीन एक पूरा विभाग राजभाषा विभाग के नाम से खोला गया। प्रत्येक मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समितियाँ बनी यहाँ ताकि कि प्रत्येक मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ भी बनी। राजभाषा विभाग भारत में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में किये जा रहे हिन्दी कार्य के लिये वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित करता है दिशा निर्देश देता है तथा इस दिशा में हुई प्रगति का लेखा जोखा रखता है। कर्मचारियों को जागरूक रखने के लिये अन्य समारोह की भाँति (हिन्दी दिवस) तथा (हिन्दी सप्ताह) अथवा हिन्दी पखवाड़ा

मनाया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त लक्ष्यों तथा हिन्दी में किये गये कार्यों का विवरण दिया जाता है। राष्ट्रीय नेताओं के संदेशों एवं विभागाध्यक्षों के मार्ग दर्शन से हमें प्रेरणा मिलती है। विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति एक नई चेतना जागृत होती है एवं एक उत्साहवर्धन वातावरण भी बनता है। इस प्रकार के आयोजन हमें अपने भीतर आत्म विश्वास पैदा करने तथा अपनी कमियों को दूर करने का अवसर प्रदान करते हैं। राजभाषा हिन्दी के महत्त्व गौरव सामर्थ्य और सरकारी काम में प्रयोग की सरलता आदि के विशय में अभिव्यक्ति का अवसर भी हमें इस आयोजनों से मिलता है। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा है मेरा यह मत है "कि हिन्दी ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है। कोई दूसरी भाषा नहीं।" आज हिन्दी का प्रचार प्रसार एवं व्यवहार केवल भारत में ही नहीं हो रहा है बल्कि विश्व में अनेक राष्ट्रों अर्थात् फिजी, मारीशस, दक्षिण अफ्रीका, वर्मा, जापान, फ्रांस, त्रिनिदाद, रूस, अमेरिका, चेकोस्लोवाकिया, ब्रिटेन और जर्मनी में भी हिन्दी का महत्त्व एवं प्रयोग काफी बढ़ गया है। विदेशों में हिन्दी के प्रचार प्रसार एवं पठन पाठन को दो तरीकों से किया जा रहा है एक विश्व विद्यालय में हिन्दी को पढ़ाया जाना तथा दूसरा विदेशों में प्रवासी भारतीयों का बस जाना तथा अपनी संस्कृति और सभ्यता का हिन्दी भाषा के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना। हिन्दी का प्रचार-प्रसार विश्व में आकस्मिक और प्रत्याशित नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा की भक्ति के साथ साथ प्रवासी भारतीयों की शक्ति से भी पूर्ण रूप से परिचित थे। उन्होंने अपने विश्वस्त कार्यकर्ताओं को विश्व के अन्य राष्ट्रों में प्रवासी भारतीय के बीच भेजकर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी जो भारत में आज राजभाषा है के लिये संघर्ष और सहयोग करने स्वाभाविक निश्ठा एवं भक्ति उजागर करने को समाज एवं राष्ट्र को प्रेरित किया। हम धर्म प्रचारकों को भी नहीं भुला सकते जिन्होंने हिन्दी के माध्यम से अपने अपने मतों का प्रचार प्रसार किया और व्यवसायिकों तथा व्यापारियों ने इस भाषा का प्रयोग कर राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये राष्ट्रभाषा हिन्दी ने संघर्ष एवं सहयोग करने की प्रेरणा दी। आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, सुधारवादी संस्थाओं भारत के अनेक साधु सन्तों एवं प्रचारकों ने भी प्रवासी भारतीयों के बीच जाकर भारतीय धर्म और संस्कृति के साथ साथ हिन्दी का प्रचार-प्रसार किया। कुछ हिन्दी संस्थाओं ने विदेशों में अपनी परीक्षाओं के केन्द्र स्थापित करके हिन्दी का व्यावसायीकरण किया। हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार की ओर से भी कुछ प्रयास किये गये। फिजी, मारीशस, त्रिनिदाद स्थित हमारे दूतावासों में हिन्दी अधिकारी नियुक्त किये गये जो अपना सारा सरकारी कार्य हिन्दी में करके हिन्दी को बढ़ावा देते थे। इन हिन्दी अधिकारियों के भरसक प्रयत्न तथा अथक प्रयास करने से हिन्दी पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्य पुस्तकों का लेखन, हिन्दी समाचार पत्रों का प्रकाशन, रेडियों और टेलीविजन का प्रसारण, सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन हुआ। यह बात उल्लेखनीय है कि अकेले मारीशस में प्रायः चार-पाँच हजार व्यक्ति हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेते हैं। परीक्षाओं के संचालन में विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित हमारे दूतावास एक सम्पर्क सूत्र का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति परिषद में भी हिन्दी भाषा के पठन पाठन को प्रोत्साहित करने के लिये बुखारेस्ट और सोफिया में अध्यापक भेजे हैं। त्रिनिदाद, सूरीनाम और गुयाना में हिन्दी के अध्यापक कार्यरत हैं। सन् 1926 में फिजी में प्रथम भारतीय पाठशाला खोली गई आगे चलकर हिन्दी पाठ्यक्रम का एक विशय माना गया और फिजी जूनियर तथा सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा तथा हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था की। स्वतंत्र फिजी के संविधान में हिन्दी को मान्यता प्राप्त है। बर्मा में रंगून में स्थित ब्राह्मण सभा का ऊँचा भवन 'ब्रह्मनिकेतन' हिन्दी के प्रचार-प्रसार का साक्षी है। रंगून विश्वविद्यालय में हिन्दी शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। दक्षिण अफ्रीका में भी हिन्दी का काफी प्रसार प्रसार हुआ है और हिन्दी की काफी सुदृढ़ स्थिति है। जापान में हिन्दी का प्रवेश काफी पहले हुआ था और जापान में 'तोक्वो स्कूल आफ फोरेन लैंग्वेज' की स्थापना हुई। इस प्रकार फ्रांस, रूस, अमेरिका, चेकोस्लोवाकिया, ब्रिटेन और जर्मनी में भी हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ा। लेकिन इन सबके होते हुये भी हिन्दी को अभी राजभाषा से राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त होना बाकी है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के शब्दों में देश के सबसे बड़े भाग में बोली जाने वाली हिन्दी की राष्ट्रभाषा पद की अधिकारी है।" समिति गठन किया गया जिसके अध्यक्ष स्वयं गृहमंत्री होते हैं तथा जिसकी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपी जाती है।

गृह मंत्रालय के अधीन एक पूरा विभाग, राजभाषा विभाग के नाम से खोला गया। प्रत्येक मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समितियाँ बनी, यहाँ ताकि प्रत्येक मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ भी बनी। राजभाषा विभाग भारत में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में किये जा रहे हिन्दी कार्य के लिये वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित करता है, दिशा-निर्देश देता है तथा इस दिशा में हुई प्रगति का लेखा जोखा रखता है। कर्मचारियों को जागरूक रखने के लिये अन्य समारोह की भाँति 'हिन्दी दिवस' तथा 'हिन्दी सप्ताह' अथवा 'हिन्दी पखवाड़ा' मनाया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त लक्ष्यों तथा हिन्दी में किये गये कार्यों का विवरण दिया जाता है। राष्ट्रीय नेताओं के संदेशों एवं विभागाध्यक्षों के मार्ग दर्शन से हमें प्रेरणा मिलती है। विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति एक नई चेतना जागृत होती है एवं एक उत्साहवर्धन वातावरण भी बनता है। इस प्रकार के आयोजन हमें अपने भीतर आत्म विश्वास पैदा करने तथा अपनी कमियों को दूर करने का अवसर प्रदान करते हैं। राजभाषा हिन्दी के महत्व, गौरव, सामर्थ्य और सरकारी काम में प्रयोग की सरलता आदि के विशय में अभिव्यक्ति का अवसर भी हमें इन आयोजनों से मिलता है। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा है 'मेरा यह मत है हिन्दी ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है, कोई दूसरी भाषा नहीं।' आज हिन्दी का प्रचार-प्रसार एवं व्यवहार केवल भारत में ही नहीं हो रहा है बल्कि विश्व के अनेक राष्ट्रों अर्थात् फिजी, मारीशस, दक्षिण अफ्रिका, वर्मा, जापान, फ्रांस, त्रिनिदाद, रूस, अमेरिका, चेकोस्लोवाकिया, ब्रिटेन और जर्मनी में भी हिन्दी का महत्व एवं प्रयोग काफी बढ़ा गया है। विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं पठन पाठन को दो तरीकों से किया जा रहा है एक विश्वविद्यालय में हिन्दी को पढ़ाया जाना तथा दूसरों विदेशों में प्रवासी भारतीयों का बस जाना तथा अपनी संस्कृति और सभ्यता का हिन्दी भाषा के माध्यम से प्रचार प्रसार करना। हिन्दी का प्रचार-प्रसार विश्व में आकस्मिक और प्रत्याशित नहीं है। महात्मा गांधी गांधी राष्ट्रभाषा की भक्ति के साथ-साथ प्रवासी भारतीयों की शक्ति से भी पूर्ण रूप से परिचित थे। उन्होंने अपने विश्वस्त कार्यकर्ताओं को विश्व के अन्य राष्ट्रों में प्रवासी भारतीय के बीच भेजकर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी, जो भारत में आज राजभाषा है, के लिये संघर्ष और सहयोग करने, स्वाभाविक निश्ठा एवं भक्ति उजागर करने को समाज एवं राष्ट्र को प्रेरित किया। हम धर्म प्रचारकों को भी नहीं भुला सकते जिन्होंने हिन्दी के माध्यम से अपने-अपने मतों का प्रचार प्रसार किया और व्यवसायिकों तथा व्यापारियों ने इस भाषा का प्रयोग कर राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये राष्ट्रभाषा हिन्दी ने संघर्ष एवं सहयोग करने की प्रेरणा दी। आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, सुधारवादी संस्थाओं, भारत के अनेक साधु सन्तों एवं प्रचारकों ने भी प्रवासी भारतीय के बीच जाकर भारतीय धर्म और संस्कृति के साथ साथ हिन्दी का प्रचार-प्रसार किया। कुछ हिन्दी संस्थाओं ने विदेशों में अपनी परीक्षाओं के केन्द्र स्थापित करके हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था की। हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार की ओर से भी कुछ प्रयास किये गये। फिजी, मारीशस, त्रिनिदाद स्थित हमारे दूतावासों में हिन्दी अधिकारी नियुक्त किये गये जो अपना सारा सरकारी कार्य हिन्दी में करके हिन्दी को बढ़ावा देते थे। इन हिन्दी अधिकारियों के भरसक प्रयत्न तथा अथक प्रयास करने से हिन्दी पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्य पुस्तकों का लेखन, हिन्दी समाचार पत्रों का प्रकाशन, रेडियों और टेलिविजन का प्रसारण, सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन हुआ। यह बात उल्लेखनीय है कि अकेले मारीशस में प्रायः चार-पाँच हजार व्यक्ति हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेते हैं। परीक्षाओं के संचालन में विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित हमारे दूतावास एक सम्पर्क सूत्र का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय सांस्कृतिक परिषद में भी हिन्दी भाषा के पठन पाठन को प्रोत्साहित करने के लिये बुखारेस्ट और सोफिया में अध्यापक भेजे हैं। त्रिनिदाद, सूरीनाम, और गुयाना में हिन्दी के अध्यापक कार्यरत हैं। सन् 1926 में फिजी में प्रथम भारतीय पाठशाला खोली गई। आगे चलकर हिन्दी को पाठ्यक्रम का एक विशय माना गया और फिजी जूनियर तथा सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा तक हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था की। स्वतन्त्र फिजी के संविधान में हिन्दी को मान्यता प्राप्त है। बर्मा के रंगून में स्थित ब्राह्मण सभा का उँचा भवन 'ब्रह्मनिकेतन' हिन्दी के प्रचार-प्रसार का साक्षी है। रंगून विश्वविद्यालय में हिन्दी शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। दक्षिण अफ्रीका में भी हिन्दी का काफी प्रचार-प्रसार हुआ है और हिन्दी की काफी सुदृढ़ स्थिति है। जापान में

हिन्दी का प्रवेश काफी पहले हुआ था और जापान में 'तोक्यो स्कूल ऑफ फोरेन लैंग्वेज' की स्थापना हुई। इस प्रकार फ्रांस, रूस, अमेरिका, चेकोस्लोवाकिया, ब्रिटेन और जर्मनी में भी हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ा। लेकिन इन सबके होते हुये भी हिन्दी को अभी राजभाषा से राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त होना बाकी है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के शब्दों में 'देश के सबसे बड़े भाग में बोली जाने वाली हिन्दी ही राष्ट्रभाषा पद की अधिकारी है।

देश की शान :-

प्रतीको से हमारा देश विश्व का सरताज है।
ऋतु मौसम छटा से निराला देश है मेरा ॥
जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है।
तिरंगे में ही हमारे देश की शान रहती है ॥

.....कृष्णकान्त मिश्र

कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाये
हमारे देश में भी सुखद मकरन्द हो जाये
मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे
युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानन्द हो जाये
.....'कविता तिवारी राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भोपाल

निष्कर्ष

भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है आज का कवि राष्ट्र को सशक्त समृद्ध और विकसित बनाने के लिए अतीत की समृद्ध विरासत को प्रेरक मानता है। सचमुच स्वर्णिम भविष्य की अट्टालिका का निर्माण अतीत की मजबूत आधारशिला पर ही संभव है।

विश्व में हिन्दी के प्रयोग का सर्वाधिक जनाधार लगभग 70 करोड़ है।

उपरोक्त कथनों, विचारों, मतों, साधु-सन्तों, गुरुवाणी, महापुरुषों, राष्ट्र भक्तों, देश भक्तों एवं वैश्विक स्थिति के आधार पर हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए या विश्व में हिन्दी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। जनश्रुति के आधार पर हिन्दी विश्व भाषा हो सकती है। मेरा मत है कि "हिन्दी ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है, कोई दूसरी भाषा नहीं।" आज हिन्दी का प्रचार-प्रसार एवं व्यवहार केवल भारत में ही नहीं हो रहा है बल्कि विश्व के अनेक राष्ट्रों जैसे- फिजी, मारीशस, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, वर्मा, बुखारेस्ट सोफिया, गुयाना, सूरीनाम, जापान, रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, त्रिनिदाद में भी हिन्दी का महत्त्व एवं प्रयोग काफी बढ़ता जा रहा है समूचे विश्व में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इसलिए हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। सम्प्रति यह कहा जा सकता है कि विविध आधारों आयामों के अनुसार हिन्दी विश्वभाषा हो सकती है। हिन्दी का व्यापक विस्तार आधार, व्यवहार, हिन्दी प्रचार, सभा एवं व्यापक जनप्रयोग, परिवर्धन, परिमार्जन, परिशोधन एवं वैश्विक व्यावसायिक परिवर्तन सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वजनिक एवं सार्वभौमिक प्रयोग के आधार पर हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- ✱ 'ब्रह्मनिकेतन' हिन्दी प्रचार-प्रसार सभा
- ✱ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का सम्बोधन 'वर्मा देश'
- ✱ जापान 'तोक्यो स्कूल आफ फोरेन लैंग्वेज' की स्थापना
- ✱ फ्रांस, रूस, अमेरिका, चेकोस्लोवाकिया, ब्रिटेन, जर्मनी में हिन्दी का प्रचार-प्रसार।

- ✘ फिजी, मारीशस, दक्षिण अफ्रीका, वर्मा, जापान, फ्रांस, त्रिनिदाद, रूस, विभिन्न देशों में हिन्दी का प्रचार प्रसार।
- ✘ 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा'— सुभाष चन्द्र बोस
- ✘ वंदे मातरम, जय हिन्द, जयभारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, के नारों ने सत्य और अहिंसा को सम्बल दिया।
- ✘ रामचरित मानस, हनुमान चालीसा, कबीर के दोहे, रसखान की कवितायें नानक की गुरुवाणी से हिन्दी का राष्ट्रीयकरण।
- ✘ चन्द्र गुप्त नाटक — 'प्रशस्त पुण्य पंथ' प्रसाद कृत
- ✘ जय शंकर प्रसाद — 'अरुण यह मधुमय देश हमारा'
- ✘ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र— 'निजभाशा उन्नति अहै'
- ✘ भारतीय संविधान में 23 भाशाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई 'भारतीय संविधान'
- ✘ डॉ०राजेन्द्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, 14 सितम्बर 1946 संविधान समिति की रिपोर्ट
- ✘ संघ, संसद की भाशा हिन्दुस्तानी से हिन्दी 14 जुलाई 1947 सहर्ष स्वीकार किया गया 'संशोधन प्रस्ताव'
- ✘ संविधान के अनुच्छेद 343(2) में हिन्दी के साथ भारत की अन्य भाशाओं को राष्ट्रीय भाशा का दर्जा दिया गया 'भारतीय संविधान'
- ✘ संविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाशाओं में रखा गया 'भारतीय संविधान'
- ✘ राजभाशा अधिनियम 1963 में बना। लोकसभा एवं राज्यसभा में 'एक संकल्प' 1968 में पारित किया— 'भारतीय संविधान'
- ✘ हिन्दी प्रचार—प्रसार राजभाशा अधिनियम 1976 'भारतीय संविधान'
- ✘ संसदीय राजभाशा समिति का गठन 1976 में किया गया जिसके अध्यक्ष स्वयं गृहमंत्री होते हैं। 'संविधान राजभाशा सुधार'
- ✘ गृह मंत्रालय के अधीन राजभाशा विभाग एवं हिन्दी सलाहकार समितियाँ बनी — 'केन्द्रीय सरकार कार्यक्रम रिपोर्ट'
- ✘ केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दी वार्षिक कार्यक्रम, दिशा—निर्देश, हिन्दी समारोह, 'हिन्दी दिवस' 'हिन्दी सप्ताह' 'हिन्दी पखवाड़ा' 'हिन्दी संगोष्ठी' 'हिन्दी आयोजन' राष्ट्रीय नेताओं के संदेशों एवं विभागाध्यक्षों के मार्ग दर्शन, राजभाशा हिन्दी के महत्व, गौरव, सामर्थ्य, सरकारी कार्य में प्रयोग 'केन्द्रीय सरकार कार्यक्रम रिपोर्ट'
- ✘ मैथिलीशरण गुप्त — 'हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था'
- ✘ नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था।।
- ✘ माखल लाल चतुर्वेदी — 'मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक।
- ✘ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक।
- ✘ सुभद्रा कुमार चौहान— 'देश भक्ति की प्रबल धारा' 'हल्दी घाटी के शिलाखण्ड'
- ✘ महाकवि—निराला— 'जागो फिर एक बार' शेर की माँद में
- ✘ सुमित्रा नंदन पंत— 'भारत माता ग्रामवासिनी'
- ✘ 'कुरुक्षेत्र' महाकाव्य — रामधारी सिंह दिनकर— छीनता है सत्य कोई और तुम
- ✘ भारत भूषण अग्रवाल— 'देश प्रेम अभिव्यक्ति' 'कोटि कंठ का नाद लिए,
- ✘ उठे जब सामस्वरों में गान बने यह भारत देश महान।'
- ✘ मुक्ति बोध — गजानन माधव मुक्ति बोध — 'अब तक क्या किया'

